न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील सं0 :– 78/2012(171/09) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. श्योप्रसाद

2. कैलाश

3. तारा चन्द पुत्रान श्री रामकिशोर जाति मीना निवासीयान मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

-----अपीलान्टान

–:बनाम:–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

-----रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड़ अधिकारी मुण्डावर

दिनांक 15.09.2009

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. राजकीय अभिभाषक :– श्री अमर चन्द चौधरी

निर्णय **दिनांक– 05.02.2021**

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, मुण्ड़ावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 283/06 बाबत इश्तकरारहक मय हुकुम दवामी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2009 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया गया है।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी गत खसरा नम्बर 773 मिन रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 776 मिन रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, 776 मिन रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा हाल नं0 1696 रकबा 94 एयर, 1698 रकबा 78 एयर, 1699 रकबा 1 हेक्टेयर 07 एयर वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। पहले दादा घुहनसत 1947 से पूर्व से ही काबिज थे। उनके बाद वादीगण के पिता रामकिशोर काबिज रहे। रामकिशोर के बाद वादीगण काबिज हो गये। वादीगण काबिज काश्त खातेदार लगातार है। राजस्व कर्मचारियों ने गलत तौर पर वादीगण को गैर मौरूसी दर्ज कर दिया। अतः वाद पत्र डिक्री जावे। तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया है, जिसकी यह अपील है।

3. दौराने वहस विद्वान वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि विवादित आराजी की बाबत खातेदारी का इन्तकाल नं0 1219 / 14.10.15 द्वारा अपीलांट्स को खातेदारी मिल चुकी है। इसलिये अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही हैं। लिहाजा अपील खारिज कर दी जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने भी अपील खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया। विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस जमाबन्दी सम्वत 2067-70 की फोटोप्रति पेश की, जिसमें नोट अंकित है कि इन्तकाल नम्बर 1219 दिनांक 14.10.15 द्वारा श्योप्रसाद, कैलाश, ताराचन्द पुत्रान रामकिशोर मीणा साकिन देह गैर मौरूसी साल 70 के स्थान पर खातेदार स्वीकृत हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की बाबत वादीगण अपीलांट को खातेदारी मिल चुकी है। इसलिये अब इस अपील में कोई कार्यवाही अपीलांट नही चाहते है और अपील खारिज कराना चाहते है।

6. अतः आदेश है कि बरूये निवेदन अपीलांट अपील खारिज की जाती है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

05/02/2021

(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर